राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –75/2018

(अपील संख्या–424/2015)

चन्द्र शेखर माथुर –प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकि शिक्षा, जयपुर, राज.।
2. श्री दरिया सिंह, निदेशक, निदेशालय तकनीकि शिक्षा, जोधपुर।
3. श्री मुकेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.04.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :–अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अवमानना याचिका में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 424/2015 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 23490/2018 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्र शेखर माथुर प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.11.2018 पारित कर इस अधिकरण के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा था। प्रत्यर्थी विभाग ने स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की है।
2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2018 की प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है। चूंकि इस अवमानना याचिका में जिस आदेश की अवमानना किया जाना अपीलार्थी ने बताया है, उसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित रखा है। ऐसे में अवमानना याचिका में अब कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना इस स्तर पर संभव नहीं है।
3. अतः यह अवमानना याचिका इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय होने पर

अथवा स्थगन आदेश निरस्त किये जाने की स्थिति में पुनः नये सिरे से अवमानना याचिका प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा। अवमानना याचिका में कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)